कर्मचारी भविष्य निधि संगठन
EMPLOYEES' PROVIDENT FUND ORGANISATION
श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, भारत सरकार
MINISTRY OF LABOUR & EMPLOYMENT, GOVERNMENT OF INDIA
मुख्य कार्यालय/Head Office
भविष्य निधि भवन, 14, भीकाएजी कामा प्लेस, नई दिल्ली-110066
Bhavishya Nidhi Bhawan, 14, Bhikaiji Cama Place, New Delhi-110066
Website: www.epfindia.gov.in, www.epfindia.nic.in

सं: हिंदी सलाहकार समिति/2022-23/41वीं बैठक/ 350 **दिनांक:** 11 JUL 2023

सेवा में,

निदेशक, पीडीनास,
सभी अपर केंद्रीय भविष्य आयुक्त (मुख्या.)/
अपर केंद्रीय भ.नि. आयुक्त, आंचलिक कार्यालय
सभी प्रभारी क्षेत्रीय भविष्य निधि आयुक्त (क्षेत्रीय कार्यालय/आं.प्र.सं.),
अपर केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त, मुख्यालय, (प्र.से.प्र./ मा.सं.प्र.)

विषय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 26.06.2023 को आयोजित 41वीं बैठक के कार्यवृत्त प्रेषित करने के संबंध में ।

महोदय/महोदया,

कृपया उपर्युक्त विषय पर श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, के पत्र सं. ई-14011/01/2023-रा.भा.नी. दिनांक 03/07/2023 की प्रति (संलग्न) आपको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित की जाती है । आपसे अनुरोध है कि बैठक में जिन महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है उन पर कार्रवाई करना सुनिश्चित करें।

कृपया कृत कार्रवाई से मुख्यालय को भी अवगत कराएं ।

भवदीया,

संलग्न: यथोपरि

(वीणा टम्टा भाटिया)
अपर केंद्रीय भ.नि.आयुक्त (मुख्या.)/प्रभारी राजभाषा

प्रतिलिपि:

क्षेत्रीय भ.नि. आयुक्त (एन.डी.सी.) - वेबसाइट पर अपलोड करने के अनुरोध सहित।

संशोधित

संख्या ई-14011/01/2023-रा.भा.नी.
भारत सरकार
श्रम और रोजगार मंत्रालय
...

श्रम शक्ति भवन, रफी मार्ग,
नई दिल्ली, दिनांक: 03 जुलाई,2023

कार्यालय ज्ञापन

विषय: श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की दिनांक 26.06.2023 को आयोजित 41वीं बैठक का कार्यवृत्त।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेन्द्र यादव जी की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2023 को आयोजित हिंदी सलाहकार समिति की 41वीं बैठक के कार्यवृत्त की अनुमोदित प्रति आपकी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

03/07/23
(निकोलस खलखो)
उप-निदेशक (राजभाषा)
दूरभाष : 23324141

Acc (HR)/02

सेवा में:-

1. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति के सभी गैर-सरकारी एवं सरकारी सदस्य।
2. माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री के निजी सचिव।
3. माननीय श्रम और रोजगार राज्य मंत्री के अपर निजी सचिव
4. सचिव (श्रम और रोजगार) के प्रधान निजी सचिव।
5. अपर सचिव (श्रम एवं रोजगार) के प्रधान निजी सचिव।
6. वरिष्ठ श्रम एवं रोजगार सलाहकार के प्रधान निजी सचिव।
7. संयुक्त सचिव (वी.बी.)/संयुक्त सचिव (के.के.एस)/संयुक्त सचिव (आर.के.टी)/ संयुक्त सचिव (डी.के)/आर्थिक सलाहकार का कार्यालय
8. उप-महानिदेशक(एन.के.एस)के निजी सचिव
9. श्रम और रोजगार मंत्रालय के सभी सम्बद्ध/अधीनस्थ कार्यालय एवं स्वायत्त निकाय/संगठन।
10. श्रम एवं रोजगार मंत्रालय के सभी अधिकारी/अनुभाग/प्रभाग/डैस्क/एकक आदि।
11. परामर्शदाता/ निदेशक (नीति) राजभाषा विभाग
12. उप-निदेशक, राजभाषा विभाग
13. भारत सरकार के सभी मंत्रालय/विभाग।
14. प्रधानमंत्री सचिवालय, नई दिल्ली।
15. मंत्रिमंडल सचिवालय, नई दिल्ली।
16. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
17. नीति आयोग, नीति भवन, नई दिल्ली।
18. सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
19. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग, नई दिल्ली।
20. सचिव, संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली।

के.भ.नि.आ. के. नि. स.
प्राप्त किया
449 / 10 JUL 2023
डायरी सं 911246

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2023 को मुख्य समिति कक्ष, सी विंग, प्रथम तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित श्रम और रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 41वीं बैठक का कार्यवृत्त

श्रम और रोजगार मंत्रालय की हिंदी सलाहकार समिति की 41 वीं बैठक माननीय श्रम और रोजगार मंत्री श्री भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2023 को अपराहन 02:30 बजे मुख्य समिति कक्ष, सी विंग, प्रथम तल, श्रम शक्ति भवन, नई दिल्ली में आयोजित की गई। बैठक में उपस्थित सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची **अनुबंध** में संलग्न है।

सर्वप्रथम सचिव (श्रम और रोजगार), श्रीमती आरती आहूजा ने हिंदी सलाहकार समिति के माननीय अध्यक्ष महोदय एवं सभी सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि हिन्दी आम आदमी की भाषा के रूप में देश की एकता का सूत्र है। इसीलिए हमारे देश के संविधान निर्माताओं ने हिन्दी को राजभाषा घोषित किया। हम सबका यह संवैधानिक दायित्व हो जाता है कि हम भारत सरकार की राजभाषा नीति की अनुपालना पूरे मन से करें और सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों की जानकारी आम जनता की भाषा में देने का काम करें। अब स्वभाषा, स्वदेशी और स्वराज की कल्पना को साकार करने का समय आ गया है। इसके लिए हर स्तर पर पहल करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि हमारे मंत्रालय में राजभाषा के प्रचार-प्रसार के लिए काफी कुछ किया जा रहा है और काफी कुछ करने की आवश्यकता है। इसके लिए आप सभी विद्वानों को आमंत्रित किया गया है। हम सब मिलकर इस पर चर्चा करेंगे और चर्चा में जो भी उपाय सुझाए जाएंगे, उनके कार्यान्वयन के लिए हम सकारात्मक प्रयास करेंगे। तत्पश्चात उन्होंने माननीय श्रम और रोजगार मंत्री जी को अध्यक्षीय संबोधन के लिए आमंत्रित किया।

माननीय श्रम और रोजगार मंत्री ने अपने अध्यक्षीय संबोधन में समिति के माननीय सदस्यों का स्वागत करते हुए कहा कि कोविड जैसी विषम परिस्थितियों के कारण समिति के पुनर्गठन में विलंब हुआ जिसके कारण बैठक लंबे समय बाद आयोजित की जा सकी। उन्होंने कहा कि यह केवल परिचयात्मक बैठक है और अगले तीन माह बाद पुनः समिति की बैठक आयोजित की जाएगी जिसमें मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में हिंदी की प्रगति पर सभी सदस्यों के साथ विस्तारपूर्वक चर्चा की जाएगी। उन्होंने कहा कि मंत्रालय में राजभाषा हिंदी के कार्यान्वयन की स्थिति अगर बहुत अच्छी नहीं है तो खराब भी नहीं है। उन्होंने कहा कि वे चाहेंगे कि समिति के माननीय सदस्य अपने निवास के नजदीक स्थित श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालयों का दौरा करें ताकि उन्हें पता लग सके कि वहां हिंदी की क्या स्थिति है और हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए क्या कुछ किए जाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि स्वयं उनकी हिंदी भाषा के प्रति बहुत रुचि है और वे चाहेंगे कि मंत्रालय और उसके अधीनस्थ कार्यालयों के अधिकारी अधिकांश काम हिंदी में करें।

तत्पश्चात अध्यक्ष महोदय ने बैठक की कार्यवाही आगे बढ़ाने का निर्देश दिया और समिति की पिछली बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि की गई जिसके पश्चात अध्यक्ष महोदय ने सभी सदस्यों को अपने अपने सुझाव देने के लिए आमंत्रित किया।

माननीय सांसद, श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी ने कहा कि मंत्रालय में वर्ष 2018 के बाद समिति की बैठक का आयोजन नहीं किया गया था। उन्होंने कहा कि हिंदी को बढ़ावा देने के लिए बैठकें लगातार होनी चाहिए।

उन्होंने आगे कहा कि मैं इस बात से भी सहमत हूं कि दुनिया ग्लोबल हुई है तो अंग्रेजी को नकार कर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे लेकिन हम सबको मिलकर हिंदी को बढ़ावा देने के लिए प्रयास करना चाहिए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय और इसके अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा हिंदी को बढ़ावा देने के लिए निरंतर प्रयास करना चाहिए।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालय)

माननीय सदस्य, डॉ. दीपिका विजयवर्गीय ने कहा कि सितंबर माह में आयोजित किए जाने वाले हिंदी पखवाड़े के दौरान विभिन्न प्रतियोगिताओं के साथ-साथ हिंदी कार्यशालाओं का भी आयोजन किया जाना चाहिए। उन्होंने हिंदी के रिक्त पदों को भरने की भी आवश्यकता पर भी बल दिया।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालय)

माननीय सदस्य, डॉ. जय प्रकाश शाक्य ने कहा कि विभिन्न परीक्षाओं में हिंदी माध्यम को अनिवार्य बनाया जाना चाहिए।

माननीय सदस्य, श्री पंकज दीवान ने कहा कि माननीय मंत्री महोदय के मार्गदर्शन में मंत्रालय में राजभाषा नीति का अनुपालन हो रहा है जो सराहनीय है। उन्होंने कहा कि मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में हिंदी पत्राचार का प्रतिशत बहुत कम है इसे बढ़ाने के लिए वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा हिंदी में काम करना आवश्यक है। उन्होंने इस बात पर संतोष व्यक्त किया कि मंत्रालय तथा इसके कार्यालयों में राजभाषा नियमों के अनुपालन की स्थिति संतोषजनक है। उन्होंने कहा कि हिंदी के रिक्त पदों को तत्काल भरे जाने की आवश्यकता है। उन्होंने यह भी कहा कि मंत्रालय की वेबसाइट में हिंदी की सामग्री को अद्यतित किया जाए। उन्होंने कहा कि मंत्रालय द्वारा हिंदी में एक गृह पत्रिका प्रकाशित करने पर भी विचार किया जा सकता है। अंत में उन्होंने कहा कि मंत्रालय के लिए एक समेकित शब्दावली भी तैयार की जानी चाहिए।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालय)

माननीय सदस्य, श्री शिवानंद द्विवेदी ने कहा कि सरकारी दस्तावेजों के अनुवाद को व्यावहारिक एवं बोधगम्य बनाया जाना चाहिए ताकि आम लोगों की समझ में आसानी से आ सकें। उन्होंने हिंदी में अधिक से अधिक कार्य किए जाने की आवश्यकता पर भी बल दिया।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालय)

माननीय सदस्य, श्री अनंत विजय ने कहा कि माननीय मंत्री जी ने आरंभ में ही कहा कि समिति की अगली बैठक तीन माह बाद आयोजित की जाएगी, जो अत्यंत प्रशंसनीय है क्योंकि किसी भी भाषा कि प्रगति के लिए उस पर निरंतर चर्चा आवश्यक है। उन्होंने शब्दों के मानकीकरण पर भी बल दिया।

(कार्रवाई- मंत्रालय तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालय)

माननीय मंत्री जी ने मंत्रालय के अधिकारियों को निर्देश दिया कि समिति के सभी सदस्यों को पत्र लिख कर उनसे अनुरोध किया जाए कि वे अपने निकट स्थित श्रम और रोजगार मंत्रालय के कार्यालयों का दौरा

करें ताकि वे वहां कि जमीनी सच्चाई से वाकिफ हो सकें और तदनुसार हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने का सुझाव दे सकें।

(कार्रवाई- मंत्रालय, तथा इसके नियंत्रणाधीन कार्यालय)

माननीय अध्यक्ष महोदय ने वी वी गिरि राष्ट्रीय श्रम संस्थान (वीवीजीएनएलआई) को निर्देश दिया कि एक उप-समिति गठित कर श्रम और रोजगार मंत्रालय एवं इसके कार्यालयों के लिए एक शब्दावली तैयार करने, चार श्रम संहिताओं के बारंबार पूछे जाने वाले प्रश्नों (एफएक्यू) को हिंदी में तैयार करने तथा चारों श्रम संहिताओं को आसानी से समझ में आ सकने योग्य बनाए जाने की दिशा में कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि आवश्यकता पड़ने पर समिति में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित किया जा सकता है।

(कार्रवाई- मंत्रालय/वीवीजीएनएलआई)

माननीय अध्यक्ष महोदय को बताया गया कि श्रम सुविधा पोर्टल तथा ई-श्रम पोर्टल हिंदी में कार्यशील हैं। उन्होंने इन्हें और व्यावहारिक बनाने का निर्देश दिया।

अंत में उप-महानिदेशक सह-सदस्य सचिव ने माननीय अध्यक्ष महोदय तथा समिति के सभी सदस्यों एवं अधिकारियों के प्रति आभार व्यक्त किया और उन्हें आश्वस्त किया कि उनके बहुमूल्य सुझावों को कार्यान्वित करने का पूरा प्रयास किया जाएगा। अध्यक्ष महोदय और सदस्यों के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक की कार्यवाही समाप्त हुई।

***

अनुबंध

माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री, श्री भूपेन्द्र यादव की अध्यक्षता में दिनांक 26.06.2023 को अपराह्न 2:30 बजे श्रम और रोजगार मंत्रालय, श्रम शक्ति भवन में आयोजित हिन्दी सलाहकार समिति की बैठक में भाग लेने वाले सदस्यों एवं अधिकारियों की सूची।

क्रम संख्या	*नाम*	*पदनाम*
1.	श्री भूपेंद्र यादव	माननीय श्रम एवं रोजगार मंत्री तथा समिति के माननीय अध्यक्ष
2.	श्री गोपाल चिनैय्या शेट्टी	माननीय सांसद
3.	डॉ. दीपिका विजयवर्गीय	सदस्य
4.	डॉ. जय प्रकाश शाक्य	सदस्य
5.	श्री पंकज दीवान	सदस्य
6.	श्री शिवानंद द्विवेदी	सदस्य
7.	श्री अनंत विजय	सदस्य
8.	श्रीमती आरती आहूजा	सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
9.	सुश्री नीलम शमी राव	केन्द्रीय भविष्य निधि आयुक्त क.भ.नि. संगठन
10.	श्री रमेश कृष्णमूर्ति	अपर सचिव
11.	श्री आलोक चंद्रा	वरिष्ठ श्रम और रोजगार सलाहकार
12.	सुश्री विभा भल्ला	सयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
13.	श्री कमल किशोर सोन	सयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
14.	श्री रूपेश कुमार ठाकुर	संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
15.	सुश्री दीपिका कच्छल	संयुक्त सचिव, श्रम और रोजगार मंत्रालय
16.	श्री नागेश कुमार सिंह	उप-महानिदेशक एवं सदस्य सचिव
17.	सुश्री शिफाली ढ़ीगरा	आर्थिक सलाहकार
18.	श्री रेमिस टिरू	मुख्य श्रम आयुक्त (कें.)
19.	श्री इन्द्र सैन नेगी	महानिदेशक, श्रम ब्यूरो
20.	डॉ. अरविंद	महानिदेशक, वीवीजीएनएलआई
21.	श्री सतीश छिद्दरवार	महानिदेशक , खान सुरक्षा महानिदेशालय
22.	श्री सुमित रॉय	निदेशक, डीजीफासली
23.	श्री रत्नेश कुमार गौतम	बीमा आयुक्त, कर्मचारी राज्य बीमा निगम
24.	श्री मनोज आबूसरिया	परामर्शदाता/ निदेशक, राजभाषा विभाग
25.	श्री राजेश श्रीवास्तव	उप-निदेशक, राजभाषा विभाग